DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, MAY 29, 2025 ------DATED----------------------

DDA launches third housing scheme of year

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) launched bookings for its third housing scheme of the year, 'Apna Ghar Awaas Yojana 2025', on Tuesday, offering 7,500 units across Narela, Loknayakpuram, and Siraspur.

On the first day, May 27, a total of 452 flats were booked, including 209 economically weaker sections (EWS), 136 low income group (LIG), 3 middle income group (MIG), and 6 high income group (HIG) flats in Narela. Additionally, 37 LIG and 48 MIG flats were booked in Loknayakpuram, along with 13 LIG flats in Siraspur. Under the scheme, Siraspur offers 564 LIG flats, Loknayakpuram has 150 LIG and 96 MIG flats, while Narela has 694 EWS, 5,384 LIG, 386 MIG, and 226 HIG flats. The residential units come with discounts ranging from 15% to 25% across all categories.

"There will be a 25% discount on LIG flats in Loknayakpuram, Narela, and Siraspur, and a 15% discount on EWS, MIG, and HIG flats in Narela, as well as MIG flats in Loknayakpuram," officials said.

The scheme is open to all Indian citizens aged 18 and above and operates on a first-come, first-served basis. Registrations will close on Aug 26, subject to possible extensions. Applicants can book flats online via the DDA website by paying: Rs 50,000 for EWS flats, Rs 1 lakh for LIG flats, Rs 4 lakh for MIG flats, and Rs 10 lakh for HIG flats. TNN

Encroachers can't claim right to occupy public land during rehab: HC

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi High Court recently ruled that encroachers cannot claim the right to occupy public land while their rehabilitation claims are being processed, as this would hinder public projects.

A single-judge bench of Justice Dharmesh Sharma emphasised that eligibility for rehabilitation is separate from eviction proceedings. "There is no gainsaying that the petitioners have no vested right to seek rehabilitation as it is not an absolute constitutional entitlement available to encroachers such as themselves. The right to rehabilitation arises solely from the prevailing policy, which binds the petitioners. The determination of eligibility for rehabilitation is a separate process from the removal of encroachers from public land," the bench said in its 60-page judgment on May 26.

The court dismissed petitions seeking to halt demolition and eviction in the Bhoomiheen Camp jhuggi clusters in Govindpuri, noting that Delhi Development Authority's actions complied with the 2015 policy guidelines. The petitioners also sought a direction to DUSIB to conduct a comprehensive survey of the affected residents and to rehabilitate them in accordance with the Delhi Slum & JJ Rehabilitation and Relocation Policy, 2015.

THE COURT SAYS

Notably, the jhuggis do not have structured numbering assigned by civic authorities, but rather bear arbitrary, self-assigned numbers by occupants

The bench observed that the measures implemented by DDA in the case were in accordance with the guidelines in the policy. The court noted that DDA's position that the Oct 2019 survey was conducted in the presence of the jhuggi occupants, was video-recorded, and utilised a mobile application to ensure accuracy, cannot be challenged in the proceedings in question.

The bench said that in adherence to the rehabilitation and relocation process, DDA carried out a survey of the camp and that a notice was prominently displayed at multiple locations within the JJ cluster, informing people about the start of the survey.

"Notably, the jhuggis do not have structured numbering by civic authorities, but bear arbitrary, self-assigned numbers by occupants, resulting in a disorganised layout.... This court finds merit in DDA's plea that the petitioners' allegation of an improper survey lacks any basis," the court said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, MAY 29, 2025 ----DATED----------------------

SC clears widening of city road to hospital for forces

Dhananjay.Mahapatra
@timesofindia.com

New Delhi: Supreme Court Wednesday okayed widening of the approach road to Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences and Saarc University in south Delhi. However, it imposed a fine of Rs 25,000 on each DDA official found responsible for cutting trees in southern Ridge without the court's nod over their "contemptuous act".

To minimise environmental damage caused by illegal felling of 1,051 trees, the apex court directed DDA to identify 185 acres, in consultation with a three-member panel set up by it, for compensatory afforestation involving planting of native tree varieties.

▶Continued on P 8

IN THE COURTS

➤ **Probe 171 incidents of alleged fake encounters** involving police in 2021: SC to Assam rights panel | **P 12**

➤ Court finds **sole accused** in Chennai's **Anna varsity rape case guilty**; Stalin and EPS hail verdict | **P 11**

➤ Delhi court sentences **74-year-old rickshaw puller to 20-yr RI for raping two minor girls** in 2021 | **P 2**

SC raps DDA for administrative overreach, imposes green fine

▶Continued from P1

The controversy over initiation of contempt proceedings against officials of DDA, which threatened to rope in DDA chairman and LG V K Saxena and DDA ex-vice-chairman Subhasis Panda, had witnessed two SC benches, one headed by Justice B R Gavai and another by Justice A S Oka, taking double cognisance of the tree felling.

The matter was finally heard by a bench of Justices Surya Kant and N Kotiswar Singh, which ordered DDA to expeditiously complete the road widening project as the super specialty hospital provides world-class treatment to paramilitary forces' personnel, who are frequently exposed to grave risks and injuries. Interestingly, the SC said the Delhi govt and DDA may impose a one-time levy, commensurate with the cost of construction, on such affluent individuals who may be direct beneficiaries of the newly-constructed road.

Writing the 48-page judgment, Justice Kant said, "It is imperative to recognise the significance of an institution like CAPFIMS, particularly in the lives of families of personnel belonging to the lower ranks of paramilitary forces. These are the kith and kin of individuals who routinely place themselves at risk to protect the nation and defend its borders under extremely harsh conditions."

The SC said a better access road would enable emergency vehicles, including ambulances, to reach the facility swiftly, thereby potentially saving the lives of those who routinely safeguard ours.

In taking equal cognisance of the damage to the ecology by felling trees in the southern Ridge, which as a whole is termed the lungs of the national capital, the bench found itself confronted with a difficult dilemma — between the need for development and improved access to medical facilities and the pervasive harm caused to the environment by illegal cutting down of trees.

JUDGE SAYS

The facts before us reveal a troubling pattern: permissions not obtained, court orders ignored, and environmental degradation inflicted with impunity

While closing contempt proceedings against Panda, the SC said, "All other respondents and officials of DDA found responsible by the internal inquiry for the acts leading to the present contempt are directed to deposit a sum of Rs 25,000 each as an environmental fee with the forest department, in addition to and without any prejudice to the departmental action that may be taken against them." It also directed a formal censure to be imposed on officials found guilty in departmental proceedings.

Asking DDA to learn from this case and do course correction, Justices Kant and Singh said, "This is yet another classic case of institutional missteps and administrative overreach. The facts before us reveal a troubling pattern: permissions not obtained, court orders ignored, and environmental degradation inflicted with impunity. Such actions certainly raise fundamental concerns about governance and accountability."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- Hindustan Times | NEW DELHI THURSDAY MAY 29, 2025

{ RIDGE TREE FELLING } SC REBUKES AGENCY, BUT STOPS SHORT OF PUNISHMENT

Flagging 'blatant breach', SC closes contempt against DDA

Abraham Thomas
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Supreme Court on Wednesday held the Delhi Development Authority (DDA) in contempt for illegally felling over 1,000 trees in Delhi's Ridge area without its permission, calling the move a blatant breach of environmental norms and judicial orders. However, the court spared stringent action against top DDA officials, citing the "overwhelming public interest" served by a new road leading to a multi-specialty hospital for the Central Armed Police Forces (CAPF).

A bench of justices Surya Kant and N Kotiswar Singh said the illegal tree-felling for the road to the Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences (CAPFIMS) was a "classic case of institutional missteps and administrative overreach."

"It is only the overwhelming public interest served by the establishment of CAPFIMS that has, in effect, overshadowed the sheer administrative incompetence and blatant disregard for both established procedures and the orders of court," it observed.

Remnants of trees on Chhattarpur Satbari-Gaushala road. HT ARCHIVE

The court was hearing a contempt petition filed by Delhi resident Bindu Kapurea. In March, it had dismissed the DDA's application seeking permission to fell trees in the Ridge area, noting that many of the trees had already been cut.

The 1996 judgment in MC Mehta vs Union of India makes it mandatory for prior approval from the Supreme Court for any tree-felling in the ecologically sensitive Ridge.

DDA's internal inquiry had named four officials for suppressing facts from the court. While sparing them imprisonment, the court imposed an environmental fee of ₹25,000 on each, directed departmental action, and issued an official "censure."

"These acts... fall squarely within the ambit of 'criminal contempt' as defined under Section 2(c) of the Contempt of Courts Act, 1971," the court said.

"It is the good fortune of the concerned DDA officials that this larger objective has weighed in their favour, without which this court may have been compelled to adopt a far more stringent approach and deal with an iron fist," it added.

To prevent future violations, the bench mandated that all orders or notifications relating to tree felling, afforestation, or construction activity with ecological impact must explicitly mention any pending cases before the court. "This direction is being issued to ensure that, in future, the plea of ignorance is not taken as a defence," the order stated.

The petition, argued by senior advocate Gopal Sankaranarayanan and assisted by advocate Manan Verma, detailed how trees were felled in February 2024 under orders from Delhi lieutenant governor VK Saxena, issued under the Delhi Protection of Trees Act. The tree felling was completed before DDA's application for permission was even heard on March 4.

The court was later told that Saxena only became aware of the felling in June, when informed by the DDA vice-chairperson. "Such actions raise fundamental concerns about governance and accountability," it said. "We truly hope these proceedings have been conducive to incorporating necessary course corrections by the DDA and other bodies."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, MAY 29, 2025

CITES IMPORTANCE OF HOSPITAL PROJECT, WARNS AGAINST REPEAT VIOLATIONS

Trees felled in Ridge to widen road: SC holds DDA officials guilty of contempt

Misconstruction placed Delhi L-G in an embarrassing position: Top court

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MAY 28

The case was related to widening of the road to the under-construction Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences. *Archive*

TERMING IT "yet another classic case of institutional missteps and administrative overreach," the Supreme Court on Wednesday held that there was "wilful disobedience" by former Delhi Development Authority (DDA) Chairman Subhashish Panda and other officials "resulting in contempt of" its "orders" in the matter of widening of the road to the under-construction Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences (CAPFIMS) in the Capital's Ridge area.

The case had picked up steam last year following allegations that the felling took place after the visit of Delhi Lieutenant Governor V K Saxena to the site, implying that he may have had knowledge of the same.

In an affidavit, however, the L-G had earlier said that during the visit, "no one present at the said site... brought to the notice of the deponent, the legal requirement of obtaining permission from this Hon'ble Court for felling of trees."

The top court's judgment by a bench of Justices Surya Kant and N K Singh, however, said, "It is an admitted position that" Panda "and officials of the DDA acted in an errant manner, which not only amounted to a concealment of this court's directions but also led to an unfortunate and avoidable misconstruction of communications attributed to the L-G, thereby placing him in an embarrassing position. There can thus be no second opinion but to answer the issue in the affirmative and hold that there was indeed wilful disobedience on the part of the respondents, resulting in contempt of this court's orders."

The SC spared Panda of any action and closed the contempt proceedings against him "since" he "was not an officer in the DDA cadre and is no longer holding any position in that organisation..."

It directed the other respondents and officials of DDA, found responsible by the internal inquiry for the acts leading to the contempt, to deposit a sum of Rs 25,000 each as an environmental fee with the Forest Department. The court made it clear that this shall be in addition to, and without any prejudice, the departmental action that may be taken against them.

This sum, said the court, can be utilised towards remedial measures sought to be undertaken, to compensate for the loss of forest cover. The bench directed that "additionally, a formal penalty of censure be imposed upon all such officials," and closed the contempt proceedings against the respondents.

The court, while taking stern exception to the environmental harm caused by "the reckless decimation of a substantial" number of trees, resulting in loss of biodiversity, also acknowledged the significance of the hospital project to the lives of families of personnel belonging to the lower ranks of the paramilitary forces.

"We are of the considered view that such individuals, who remain largely voiceless and without representation in proceedings such as the present one, stand to benefit directly from construction of an improved approach road to CAPFIMS. Better road access would enable emergency vehicles, including ambulances, to reach the facility swiftly, thereby potentially saving lives of those who routinely safeguard ours. In the discharge of our judicial function, this overarching public interest weighs heavily upon the conscience of this court," it said.

The court said that "the establishment of CAPFIMS, the felling of trees, and the construction of approach roads are now fait accompli. While it may be theoretically possible to contemplate a reversal of these actions, such a course is practically untenable. In our view, the die is cast, and what is done cannot now be undone — any refusal to put institutions like CAPFIMS to optimal use or to undo road construction at this stage risks not only undermining public interest but also squandering significant public resources."

The court issued a series of directions, including compensatory afforestation, to make up for the felling.

Decrying the tree felling exercise, the court said, "The facts before us reveal a troubling pattern: permissions not obtained, court orders ignored, and environmental degradation inflicted with impunity. Such actions certainly raise fundamental concerns about governance and accountability. We truly hope that these proceedings have been conducive to incorporating necessary course corrections by the DDA and other bodies to avoid any such lapses in the future."

The judgment said "it is only the overwhelming public interest served by the establishment of CAPFIMS that has, in effect, overshadowed the sheer administrative incompetence and blatant disregard for both established procedures and compelled it to take a not so stringent stance".

The court, however, added, "It must be unequivocally stated that any recurrence of such conduct will not be met with similar indulgence."

It also directed the DDA "that henceforth, every notification or order relating to afforestation, road construction, tree felling, or any activity with potential ecological impact must explicitly mention the pendency of relevant proceedings before this court. This direction is being issued to ensure that, in the future, the plea of ignorance is not taken as a defence."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली, गुरुवार, 29 मई 2025

NAME OF NEWSPAPERS---------- हिन्दुस्तान -----DATED----------------------

डीडीए की आवास योजना के फ्लैट की बुकिंग शुरू

डीडीए की अपना घर आवास योजना के तहत 7500 फ्लैट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसमें खरीदारों को ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैटों को खरीदने का अवसर मिलेगा। इस संबंध मे सेंटर नंबर 1800110332 पर कॉल कर सकते है।

पेड़ काटने के मामले में डीडीए अफसरों पर जुर्माना ठोका

- दिल्ली रिज क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई का मामला
- डीडीए अफसरों के रवैये को अवमाननापूर्ण बताया

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अवैध रूप से पेड़ काटने के दोषी डीडीए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने जिम्मेदार अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

अदालत प्रतिबंध के बावजूद दक्षिणी दिल्ली के रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ी करने के लिए अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि डीडीए अधिकारियों का रवैया अवमाननापूर्ण रहा है।

जस्टिस सूर्यकांत, एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि यह मामला संस्थागत गलत कामों और प्रशासनिक अतिक्रमण का एक क्लासिक उदाहरण है, जिसकी वजह से न सिर्फ अदालती आदेशों की अवहेलना हुई बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा।

अदालत ने डीडीए अधिकारियों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया। हालांकि पीठ ने कहा कि हम डीडीए के उपाध्यक्ष रहे आईएएस अधिकारी सुभाषीश पांडा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर रहे हैं क्योंकि वह अब डीडीए में नहीं है।

➤शुल्क लगाएं P04

जिन लोगों को लाभ हुआ उनपर शुल्क लगाएं : कोर्ट

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को रिज क्षेत्र में रहने वाले उन सभी धनाढ्य लोगों पर एकमुश्त शुल्क लगाने को कहा, जिन्हें सड़क चौड़ीकरण से फायदा हुआ है। पीठ ने दिल्ली सरकार को संबंधित हितधारकों के परामर्श से सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लाभार्थियों की पहचान करने को कहा है ताकि उन पर शुल्क लगाया जा सके।

शीर्ष अदालत ने कहा कि डीडीए और दिल्ली सरकार द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए तीन माह के भीतर संयुक्त रूप से तत्काल समुचित कदम उठाएं जाएं। साथ ही, इसकी देखरेख के लिए पीठ ने एक समिति का भी गठन किया है। बड़े पैमाने पर पेड़ न लगाने के लिए शीर्ष अदालत ने 185 एकड़ भूमि की पहचान करने और इसका पूरा ब्यौरा समिति को देने को कहा है। पीठ ने कहा कि यदि समिति को वनरोपण योजना बनानी है, जिसे वन विभाग अपनी देखरेख में क्रियान्वित करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में जो कानून के शासन में निहित है, ऐसे में जब आदेश की जानबूझकर अवहेलना की जाती है, तो अदालत को कड़ा रुख अपनाना चाहिए।

लागत डीडीए वहन करेगा

वनरोपण की पूरी लागत डीडीए द्वारा वहन की जाएगी। पीठ ने डीडीए और वन विभाग को वन क्षेत्रों के रखरखाव का साक्ष्य देते हुए एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने डीडीए और दिल्ली सरकार को राजधानी के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए समिति द्वारा निर्धारित अन्य व्यापक उपायों को लागू करने को कहा है।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 29 मई 2025

रिज में बिना मंज़ूरी काटे थे पेड़, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना

DDA अधिकारियों को देने होंगे 25 हज़ार रुपये

Rajesh.Choudhary
@timesofindia.com

नई दिल्ली: दिल्ली रिज क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना पेड़ काटने पर कोर्ट ने दिल्ली डिवेलपमेंट अथॉरिटी (DDA) के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने इसे संस्थागत नाकामी और प्रशासनिक अतिक्रमण का क्लासिक उदाहरण बताया। अर्धसैनिक अस्पताल तक पहुंच को आसान बनाने के लिए सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत पेड़ काटे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को DDA के उन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद कर दिया जो पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील दिल्ली रिज क्षेत्र में बिना अनुमति के बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई में शामिल थे। कोर्ट ने प्रत्येक जिम्मेदार अधिकारी पर 25,000 का जुर्माना लगाया। DDA और दिल्ली सरकार को मिलकर तीन महीने के भीतर 185 एकड़ में पेड़ लगाने होंगे। एक समिति इसकी निगरानी करेगी।

AI Image

कोर्ट ने माना, अवमानना हुई

बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि DDA के अधिकारियों ने अवमानना की, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति नहीं ली, जैसा कि 1996 के एक फैसले में जरूरी किया गया था। अदालत ने कहा कि DDA ने अपमानजनक काम किया और यह आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है। हालांकि, कोर्ट ने यह मानते हुए नरम रुख अपनाया कि पेड़ों की कटाई एक अच्छे मकसद यानी अर्धसैनिक बलों के अस्पताल तक बेहतर पहुंच के लिए की गई थी।

1996 के आदेश के मुताबिक लेनी थी परमिशन

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 29 मई 2025 TED-------------------

पहले दिन ही DDA के 453 फ्लैट्स बुक

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

20 मई को डीडीए की लॉन्च हुई 'अपना घर आवास योजना-2025' को पहले ही दिन अच्छा रिस्पांस मिला है। एक ही दिन मे लगभग हर सेगमेंट मे फ्लैट्स की बुकिंग ने स्पीड पकड़ ली है। खास तौर पर नरेला मे सबसे अधिक फ्लैट्स की बुकिंग हो रही है।

अपना घर आवास योजना

- स्कीम में HIG, एमआईजी और एलआईजी के 7500 फ्लैट्स उतारे गए हैं
- नरेला में 209 ईडब्ल्यूए और एलआईजी के 136 फ्लैट हुए बुक

डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 मई को शुरू हुई थी। फ्लैट की बुकिंग 27 मई से शुरू हुई है। पहले ही दिन से लोगो ने अपने मनपसद फ्लैट्स लेने शुरू कर दिए है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह स्कीम उतारी गई है। डीडीए के अनुसार पहले दिन ही स्कीम के 453 फ्लैट्स बुक हो गए है। स्कीम मे एचआईजी, एमआईजी और एलआईजी के 7500 फ्लैट्स उतारे गए है। नरेला मे ईडब्ल्यूएस के 209, नरेला एलआईजी मे 136, नरेला एमआईजी के 3, नरेला एचआईजी के 6, लोकनायकपुरम एलआईजी के 37, लोकनायकपुरम एमआईजी के 48 और सिरसपुर एलआईजी के 13 फ्लैट्स बुक हुए है। लोकनायकपुरम, सिरसपुर, नरेला के एलआईजी फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत, नरेला के चारो कैटिगरी के फ्लैट्स में और लोकनायकपुर मे एमआईजी फ्लैट्स में डीडीए 15 प्रतिशत डिस्काउंट दे रहा है। ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के लिए बुकिंग अमाउंट 50 हजार रुपये, एलआईजी के लिए एक लाख रुपये, एमआईजी के लिए 4 लाख रुपये और एचआईजी के लिए दस लाख रुपये है।

NBT Lens

DDA के नरेला फ्लैटो की ओर क्यो बढ़ रहा लोगो का रुझान?

समझिए खबरो के अंदर की बात

नरेला मे सालो से तैयार डीडीए फ्लैटो की ओर लोगो मे रुझान बढ़ने की वजह नरेला का सभावित विकास है। केंद्र सरकार ने नरेला होते हुए कुंडली तक जाने वाली मेट्रो लाइन बनाने को मजूरी दी है। इसके अलावा नरेला मे कई यूनिवर्सिटी और अन्य सस्थानो को जमीन का आवटन हुआ है। इससे उम्मीद बधी है कि अगले कुछ सालो मे नरेला भी द्वारका की तरह डिवेलप होता नजर आएगा। इसके अलावा डीडीए ने भी अपनी क.र्यशैली मे कुछ बदलाव किया है। संभवतः इसी वजह से अब लोग नरेला के फ्लैटो को खरीदने के लिए आगे आ रहे है।

दिल्ली ग्रामोदय योजना के तहत शुरू हुए कामों की रफ्तार हुई धीमी

■ राजेश पोद्दार, नई दिल्ली

दिल्ली ग्रामोदय योजना के तहत दिल्ली के गांव में चल रहे विकास कार्य की रफ्तार धीमी होती दिख रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से दिल्ली के गांव को बेहतर बनाए जाने को लेकर के ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य में गांव में सड़क, नालियां, गांव के तालाबों के सौंदर्यीकरण, रखरखाव और कम्युनिटी सेंटर और चौपाल घर की मरम्मत की बात कही गई थी। इसके बाद दिल्ली के कई गांवों में एरिया के एसडीएम की निगरानी में काम शुरू भी हुए, लेकिन अब उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। दिल्ली के कई गांव में एक दो गलियां बनाकर ही काम को बंद कर दिया। इसे लेकर ग्रामीण परेशान हैं, साथ ही ग्रामीणों का एक और सवाल यह भी है कि जब दिल्ली देहात के गांव में ग्राम सभा की जमीन से होने वाली इनकम के सालों से बीडीओ कार्यालय और सरकार के रेवेन्यू विभाग के पास करोड़ों रुपये जमा हैं। जैसे कि अलीपुर गांव का करीब 8 करोड़, खेड़ा खुर्द करीब 13 करोड़, पुठ खुर्द करीब 1 करोड़, बवाना करीब 220 करोड़, नंगली पूना करीब 41 लाख, सहित अन्य गांवों को मिलाकर करीब 300 करोड़ से अधिक जमा पूंजी एचडी के रूप में मौजूद थी। जिसे बाद में डीडीए के माध्यम से अलग-अलग विभागों को पैसा देकर के अलग-अलग योजनाओं में विकास कार्य शुरू किया गया।

ग्रामीण ग्राम सभा के पैसे का भी मांग रहे हैं हिसाब

Al Image

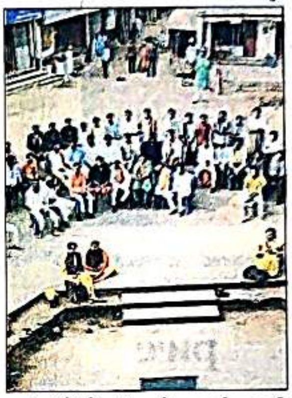

ऐसे में सेंटर फॉर यूथ, कल्चर, लॉ एंड एनवायरमेंट के संस्थापक पारस त्यागी बताते हैं कि गाव में अलग-अलग योजनाओं के तहत पहले भी दिल्ली फ्लड कंट्रोल विभाग, एमसीडी और दूसरी एजेंसी जिसमें एमपी एमएलए फंड भी हैं, नालियां, गलियां, सड़क, पार्क पर खर्च होते रहे हैं।

ऐसे में सरकार को यह बताना चाहिए कि फंड को किस नियम के तहत कहां खर्च किया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग गांव के ग्राम सभा के नाम पर जो पैसा जमा है, उससे गांव के लिए काम हो, जैसे एक नई लाइब्रेरी खोलना, कोई नए कम्युनिटी सेंटर का निर्माण, हॉस्पिटल बनाए जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम ग्राम सभा के फंड से नहीं किया जा रहा जोकि ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बन रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 29 मई, 2025 ----------DATED--------------------

अतिक्रमण हटाने के लिए पुनर्वास की शर्त सही नहीं : हाई कोर्ट

कहा-अनुमति दी गई तो परियोजनाओं में आएगी अनावश्यक बाधा

विनीत त्रिपाठी • जागरण

- राष्ट्रीय राजधानी में झुग्गी झोपड़ी के ध्वस्तीकरण पर रोक की मांग को किया खारिज
- कहा-अतिक्रमणकारियों के पास पुनर्वास की मांग करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुनर्वास की शर्त सही नहीं है। अतिक्रमणकारियों के पास पुनर्वास की मांग करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। यदि ऐसी अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक परियोजनाओं में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करेगी। अतिक्रमण ने न केवल राष्ट्रीय राजधानी की सुंदरता को प्रभावित किया है, बल्कि यह बाढ़ व जलभराव जैसी समस्याओं का भी कारण बन गया है।

न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ गोविंदपुरी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि पुनर्वास का अधिकार केवल मौजूदा नीति से संबंधित है और अतिक्रमणकारियों को हटाने की प्रक्रिया से अलग है। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) से प्रभावित निवासियों का व्यापक सर्वेक्षण करने, उन्हें दिल्ली स्लम व जेजे पुनर्वास नीति-2015 के तहत पुनर्वास की व्यवस्था करने का निर्देश देने की मांग की थी। अदालत ने राहत देने से इन्कार करते हुए कहा कि अक्टूबर 2019 का सर्वेक्षण झुग्गी में रहने वाले लोगों की मौजूदगी में हुआ था और इसकी वीडियो रिकार्डिंग भी की गई थी। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया गया था। अदालत ने यह भी पाया कि जेजे क्लस्टर में कई स्थानों पर प्रमुखता से नोटिस लगाए गए थे, ताकि लोगों को सर्वेक्षण की जानकारी मिल सके।

गुरु रविदास मार्ग पर भूमिहीन कैंप के लोगों द्वारा किया गया अतिक्रमण • जागरण

अदालत ने डीडीए के इस तर्क को स्वीकार किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए अनुचित सर्वेक्षण प्रक्रिया के आरोप का कोई आधार नहीं है। कैंप में रहने वाले अधिकांश लोग उप्र, बिहार, बंगाल व अन्य क्षेत्रों से हैं। डीडीए ने दावा किया कि ये सभी अवैध रूप से रह रहे हैं और इन्हें वर्ष 2025 की नीति के तहत खाली कराना है। कोर्ट ने तैमूर नगर में नाले किनारे झुग्गी बनाने वालों को भी राहत देने से इन्कार किया था।

संबंधित » पेज 3 व संपादकीय

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 29 मई, 2025 ----------DATED----------

पीतमपुरा के दीपाली चौक पर बेहतर यातायात सुनिश्चित करने का आदेश देकर अदालत ने की टिप्पणी

सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाए एसटीएफ

विनीत त्रिपाठी • जागरण

अतिक्रमण से जुड़ी याचिका पर हाई कोर्ट ने एसटीएफ को दिया कार्रवाई की रिपोर्ट वेबसाइट पर डालने का निर्देश

नई दिल्ली: सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स की जिम्मेदारी को स्पष्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की पहचान कर हटाना भी एसटीएफ का कर्तव्य है। अदालत ने शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2018 के एक आदेश को रिकार्ड पर लेकर कहा कि उक्त आदेश के तहत यातायात और भीड़ वाले इलाकों इलाकों की पहचान करना और आगे यातायात प्रबंधन रणनीतियों को तैयार करना, एसटीएफ के कार्यों में से एक है। उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने पीतमपुरा के दीपाली चौक पर हुए अतिक्रमण को हटाकर बेहतर यातायात सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। पीठ ने एसटीएफ को कार्रवाई कर संबंधित रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का भी आदेश दिया।

अदालत ने उक्त आदेश याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो याचिकाकर्ता एसआइटी से संपर्क कर सकता है। कोर्ट ने मामले की रिपोर्ट दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजने का भी निर्देश दिया। याचिका में कहा गया कि रानी बाग थाना के पास दीपाली चौक पर अतिक्रमण के कारण स्थानीय लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम ने पीठ के समक्ष कहा कि यह मामला यातायात सुचारु करने से लेकर सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण से जुड़ा है और इसे एसटीएफ को भेजा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने शहरी एवं विकास मंत्रालय की 24 अप्रैल 2018 में जारी आदेश की प्रति पेश की।

सर्विस लेन व फुटपाथ पर वाहनों का कब्जा

• दो किलोमीटर लंबी सर्विस लेन में चलना भी है मुश्किल

• पैदल चलने के लिए फुटपाथ पर भी नहीं बची है जगह

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली : बाहरी रिंग रोड दीपाली चौक क्षेत्र अतिक्रमण की जद में है। चौक के एक ओर ई-रिक्शा और दूसरी तरफ सर्विस लेन में वाहनों के जमावड़े के कारण आवाजाही बाधित हो रही है। अतिक्रमण के कारण सर्विस लेन वाहनों की पार्किंग में तब्दील हो गई है। हालत यह है कि पैदल चलने के लिए फुटपाथ पर भी जगह नहीं बची है। लगभग दो किलोमीटर लंबी सर्विस लेन के अधिकांश हिस्से में दाएं और बाएं दोनों ओर वाहनों की लाइन लगी है, इस वजह से वाहनों तो दूर यहां चलना भी मुश्किल हो रहा है। दीपाली चौक पर रानी बाग पुलिस थाना के पास मोड पर ई-रिक्शा को जमावड़ा देखने को मिला। बुधवार दोपहर 20-25 ई-रिक्शा खड़े पाए गए, इस कारण यातायात व्यवस्था में व्यवधान नजर आया। दीपाली चौक से लेकर पुष्पांजलि एन्क्लेव तक लगभग दो किलोमीटर की सर्विस लेन के ज्यादातर हिस्से में दोनों ओर चार पहिया वाहनों की पार्किंग देखने को मिली। फुटपाथ पर दो पहिया वाहनों का जमावड़ा मिला। दीपाली चौक से 400-500 मीटर दूरी तक सर्विस लेन के साथ-साथ बाहरी रिंग रोड पर भी चार पहिया वाहनों की कतार देखने को मिली। इसके अलावा सर्विस लेन व फुटपाथ पर आधा दर्जन रेहड़ी-पटरी वालों ने भी कब्जा जमा रखा है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

दीपाली चौक के पास सर्विस लेन व फुटपाथ पर खड़े वाहन • जागरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ दैनिक जागरण नई दिल्ली, 29 मई, 2025 TED-----------------------

पौधारोपण योजना की देखरेख को सुप्रीम कोर्ट ने बनाई समिति

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने रिज क्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में डीडीए को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए कहा कि यह मामला "प्रशासनिक गलत निर्णय" की श्रेणी में आता है। शीर्ष न्यायालय ने डीडीए को रिज क्षेत्र में रहने वाले अमीर व्यक्तियों पर एकमुश्त शुल्क लगाने के लिए भी कहा, जिन्हें सड़क के चौड़ीकरण से लाभ हुआ है। व्यापक पौधारोपण योजना की देखरेख के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया और समिति को निर्देश दिया कि वह पहुंच मार्ग के दोनों ओर घने वृक्षों का आवरण सुनिश्चित करे। समिति में ईश्वर सिंह, सुनील लिमये और प्रदीप कृष्ण शामिल होंगे। पीठ ने उसके निर्देशों का तीन महीने के भीतर अनुपालन करने को कहा है।

शीर्ष अदालत ने डीडीए को भविष्य में किसी भी तरह की गलत हरकत के प्रति आगाह किया और कहा कि इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। पीठ ने कहा कि यह मामला संस्थागत गलतियों और प्रशासनिक अतिक्रमण का एक और उत्कृष्ट मामला है। हमारे सामने मौजूद तथ्य एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखाते हैं। इसमें न अनुमति ली गई, कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की गई और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया। इस तरह की कार्रवाई निश्चित रूप से शासन और जवाबदेही के बारे में बुनियादी चिंताएं पैदा करती हैं। हम वास्तव में आशा करते हैं कि ये कार्यवाही डीडीए और अन्य निकायों द्वारा आवश्यक सुधार करने के लिए अनुकूल रहेगी ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी चूक से बचा जा सके।

पीठ ने कहा कि जहां तक इस अदालत ने वर्तमान मामले में अपना दृष्टिकोण अपनाया है, यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि इस तरह के आचरण की पुनरावृत्ति पर समान रियायत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि डीडीए अधिकारियों का सौभाग्य है कि आदेश उनके पक्ष में रहा, नहीं तो यह न्यायालय कहीं अधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाने और कठोर तरीके से निपटने के लिए बाध्य हो सकता था।

पेड़ों की कटाई में डीडीए अवमानना का दोषी

- सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के तीन अधिकारियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
- पहुंच मार्ग के दोनों ओर वृक्षों का आवरण सुनिश्चित करने को पौधारोपण का दिया आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने रिज क्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में डीडीए के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने डीडीए को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए तीन अधिकारियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही व्यापक पौधारोपण का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने डीडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी है। बता दें कि यह मामला रिज क्षेत्र में 1,100 से ज्यादा पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित है, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल तक पहुंचने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए की गई थी।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अवमानना याचिका पर यह फैसला सुनाया। आरोप था कि 1996 और चार मार्च, 2024 के पेड़ काटने पर प्रतिबंध से जुड़े आदेश का उल्लंघन किया गया। एलजी और आइएएस अधिकारी सुभाशीष पांडा द्वारा क्रमशः डीडीए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में जानबूझकर आदेशों का पालन नहीं किया गया। संबंधित » पेज 6

मुद्दा

जड़ों से बढ़ती दूरी

पेड़, तुम जिंदा रहना...

• जागरण सिटी

सख्ती उचित

दिल्ली हाई कोर्ट की यह टिप्पणी सही है कि अवैध रूप से कब्जा करने वाले यह दावा नहीं कर सकते कि उनके पुनर्वास के मुद्दे का समाधान होने तक उन्हें अवैध कब्जे से हटाया न जाए। तैमूर नगर के बाद अब गोविंदपुरी भूमिहीन कैंप के अवैध कब्जाधारियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने यह भी कहा है कि अवैध कब्जा करने वालों के पास पुनर्वास की मांग करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह अत्यंत निराशाजनक भी है कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोग पुनर्वास और पुनर्वास होने तक अवैध कब्जे में बने रहने की मांग लेकर अदालत पहुंच रहे हैं।

दिल्ली सरकार और डीडीए को इन अवैध कब्जों को लेकर जांच बैठानी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए

सरकारी विभाग अवैध कब्जे से खाली करा रहे हैं। कब्जाधारियों को हटाया जा रहा है, जो देरी से उठाया गया सही कदम है। लेकिन इसके साथ उन लोगों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिन तथाकथित रसूखदार लोगों ने इन लोगों को सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने में सहायता की। उन्हें यहां बिजली-पानी की सुविधा मुहैया कराने के साथ ही उनके लिए सरकारी पहचानपत्र और राशन कार्ड इत्यादि बनवाए। दिल्ली सरकार और डीडीए को इन अवैध कब्जों को लेकर जांच बैठानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनके चेहरे से पर्दा हटे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS— **दैनिक जागरण** नई दिल्ली, 29 मई, 2025 ED—

स्वच्छ यमुना के वादों को मिली गति, अब इसके अविरल बहाव का है इंतजार

- नदी में गंदा पानी न गिरे, इसके लिए 40 डीएसटीपी बनेंगे
- सबसे बड़े नजफगढ़ नाले की सफाई का काम शुरू हुआ
- तीन वर्षों में यमुना को स्वच्छ व अविरल बनाने का लक्ष्य

यमुना में चलता सफाई का कार्य, तीन वर्षों में यमुना को स्वच्छ व अविरल बनाने का लक्ष्य रखा गया है • जागरण आर्काइव

सरकार के 100 दिन

संतोष कुमार सिंह • जागरण

नई दिल्ली: यमुना की सफाई दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रमुख चुनावी मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्लीवासियों से यमुना को दिल्ली की पहचान बनाने का वादा किया था। इस दिशा में काम शुरू हो गया है। तीन वर्षों में यमुना को स्वच्छ व अविरल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस काम में कोई लापरवाही न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। पिछले माह उन्होंने नदी और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग और यमुना सफाई अभियान को जन आंदोलन बनाने की सलाह दी थी। इसी माह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस काम की प्रगति की समीक्षा की है।

यमुना को साफ करने में चुनौती

- नदी में गंदा पानी न गिरे, इसके लिए 100 प्रतिशत सीवेज का उपचार करना होगा
- यमुना बाढ़ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करना। डीडीए ने 1537 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाया है। अभी भी बड़े क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की चुनौती है।
- नदी में गिरने वाले 22 में से मात्र 11 नालों के पानी को ट्रैप कर शोधित किया जाता है। दो के पानी को ट्रैप करने का काम चल रहा है।
- नजफगढ़ नाले में सबसे अधिक प्रदूषण गुरुग्राम से होता है। वहां भी इसकी सफाई सुनिश्चित करनी होगी।

- पूरी दिल्ली में सीवर नेटवर्क उपलब्ध कराना। 1799 अनधिकृत कालोनियों और 639 झुग्गी बस्तियों में सीवर नेटवर्क। इनमें से 1224 कालोनियों में सीवर लाइन बिछाई गई है और 159 में काम चल रहा है। 287 में यह काम किया जाना है। 129 कालोनियों में इसके लिए वन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार है।

यमुना के दूषित होने का सबसे बड़ा कारण इसमें गिरने वाले 22 बड़े व अन्य छोटे नाले हैं। इनमें से सिर्फ 11 नालों का पानी ही एसटीपी से उपचारित होता है। चालू 37 एसटीपी में से 12 ही मानक के अनुरूप हैं। इसे ध्यान में रखकर दिल्ली सरकार ने सभी एसटीपी का थर्ड पार्टी आडिट कराने व इनके उन्नयन कार्य में तेजी लाने का निर्णय लिया है। नदी में साफ पानी पहुंचे, इसके लिए बजट में 40 विकेंद्रीकृत (डीएसटीपी) बनाने की घोषणा की है। व्यय वित्त समिति की पहली बैठक में 27 डीएसटीपी, टर्मिनल सीवेज पंपिंग स्टेशन (एसपीएस) और दिल्ली गेट पर एक 10 एमजीडी एसटीपी के निर्माण के लिए 3140 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। 13 के लिए केंद्र सरकार अमृत-2 योजना के अंतर्गत फंड देगी।

यमुना में प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार नजफगढ़ नाला है। साहिबी रिवर मिशन के अंतर्गत इसकी सफाई और जल गुणवत्ता में सुधार लाना है। पहले चरण में तिमारपुर से पंजाबी बाग तक के 11 किलोमीटर के हिस्से को साफ किया जा रहा है। इस हिस्से में 23 छोटे नाले का पानी नजफगढ़ नाले में गिरता है। इसे शोधित करने के लिए 27 में से 14 डीएसटीपी नजफगढ़ नाले के लिए होगा। 11 डीएसटीपी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

दिल्ली में इस बार यमुना के मुद्दे पर सरकार बनी है। सरकार बनने के साथ ही यमुना को स्वच्छ बनाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके लिए दो से तीन वर्षों तक काम करने होंगे। इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। पीएम स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। इससे सरकार की गंभीरता का पता चलता है। लगभग 100 दिनों में हुए कार्य से उम्मीद जगी है। गाद निकालने के साथ ही इसमें गिरने वाले नालों की सफाई और गंदे पानी को रोकने को डीएसटीपी बनाने की प्रक्रिया शुरू है। इस कार्य में आम नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उनके सहयोग के बिना यमुना साफ नहीं हो सकती है। इसके लिए सरकार को जनजागरण अभियान चलाना होगा। नदी में पर्यावरणीय प्रवाह को बनाने के लिए इसके तट पर जैव विविधता पार्क विकसित करने की आवश्यकता है। पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक 30 पार्क विकसित हो सकते हैं। **–विनय दत्त** (यमुना संसद के प्रतिनिधि)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 29 मई, 2025 DATED---

सख्त निगरानी व जवाबदेही से ही बन सकेगी बात

विक्रांत तोंगड
एडवोकेट, संस्थापक, सोशल एक्शन फार फारेस्ट एंड एनवायरमेंट

दिल्ली में पेड़ों की कटाई और हरित क्षेत्र में लगातार आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी नौ मई को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इसके अनुसार दिल्ली में यदि किसी परियोजना के अंतर्गत 50 से अधिक पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण का आवेदन आता है, तो वह अब दिल्ली वन विभाग की केंद्रीय सशक्त समिति (सीईसी) की समीक्षा और निगरानी से होकर गुजरेगा। यह आदेश दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और बेतरतीब कंक्रीट के विस्तार को देखते हुए अत्यंत अहम है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2021 से अगस्त 2023 के बीच दिल्ली में कुल 12,052 पेड़ काटे गए, जो लगभग 13 पेड़ प्रतिदिन के औसत के बराबर है। वहीं, पेड़ों की अवैध कटाई की बढ़ती घटनाओं ने न्यायालय को हस्तक्षेप के लिए मजबूर किया। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने स्वयं स्वीकार किया कि दक्षिणी दिल्ली के रिज क्षेत्र में 600 से अधिक पेड़ बिना अनुमति के काट दिए गए।

पिछले वर्ष एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा, क्योंकि यह सामने आया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रतिबंधित क्षेत्र में 1,600 से अधिक पेड़ काट डाले। इसके अलावा भी कई शिकायतें आती रही हैं कि दिल्ली वन विभाग के कुछ अधिकारी और स्थानीय निर्माण कार्यों से जुड़े निजी ठेकेदार मिलीभगत कर पेड़ों की अवैध कटाई करते हैं। इन घटनाओं ने दिल्ली सरकार के वन विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी क्षमताओं पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।

अब तक सीईसी केवल सुप्रीम कोर्ट को विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों, जैसे खनन, वनों की सुरक्षा और आगरा टीटीजेड क्षेत्र से जुड़े मामलों में परामर्श देने का कार्य करती थी। लेकिन, अब यही सीईसी पूरी दिल्ली में पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण से जुड़ी परियोजनाओं की निगरानी करेगी। हालांकि, इस आदेश का दुरुपयोग न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। यह आशंका है कि कई परियोजना सलाहकार और ठेकेदार पेड़ों की संख्या 50 से कम दिखाकर इस निगरानी से बचने की कोशिश करें। इस प्रकार के छल पहले भी देखे गए हैं, जैसे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) के नियमों में यह शर्त है कि 100 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क परियोजनाओं के लिए ही पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक होगी। ऐसे में कई एजेंसियां 300 किलोमीटर की सड़क को तीन हिस्सों में विभाजित करके नियमों से बच निकलती हैं।

पिछले 15 वर्षों से दिल्ली-एनसीआर में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए, यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि जब तक अवैध कटाई पर रोक, वन विभाग में पारदर्शिता, दिल्ली पुलिस की सक्रियता और आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होत-, तब तक हरित क्षेत्र की रक्षा संभव नहीं है। साथ ही यह भी जरूरी है कि विकास परियोजनाओं में काम कर रहे आर्किटेक्ट्स, टाउन प्लानर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी बड़े और विकसित पेड़ों को यथासंभव संरक्षित करने की दिशा में प्रयास करें। यही मांग हमने दिल्ली में सरोजिनी नगर के पुनर्विकास प्रोजेक्ट में भी की थी, जहां 16,000 पेड़ काटे जाने की सूचना सामने आई थी। दिल्ली सरकार वर्तमान में प्रत्यारोपण को एक समाधान के रूप में देख रही है। यह विचार अच्छा है, लेकिन तभी सफल हो सकता है जब यह वैज्ञानिक तरीके से, विशेषज्ञों की निगरानी में और केवल मानसून के दौरान प्रत्यारोपण किया जाए। साथ ही ध्यान दिया जाए कि पुराने देशी प्रजातियों के पेड़ों का प्रत्यारोपण अक्सर संभव नहीं होता और दिल्ली में इन्हीं प्रजाति के पेड़ों की अधिकता है।

जैसा संजीव गुप्ता को बताया

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------- नई दिल्ली, 29 मई, 2025 दैनिक जागरण

पेड़, तुम जिंदा रहना...

तेज हवा या आंधी में पेड़ों के गिरने की घटनाएं अब तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं कि पहले इतनी तेज आंधी नहीं आती थी, लेकिन अब पेड़ हवा के दबाव को झेलने में असमर्थ हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि पेड़ों की जड़-जमीन अब कमजोर पड़ रही है। इसकी भी मूल वजह है, पेड़ों के आसपास आए दिन किन्हीं कारणों से खोदाई होती है, ड्रिलिंग होती है, जिसका असर पेड़ों की जड़ों पर पड़ता है। पेड़ों का हवा के तेज झोंकों से यूं गिर जाना और अनियमित तरीके से उनकी कटाई दोनों ही चिंता के विषय हैं। अदालत में पेड़ों की कटाई के मामले लगातार पहुंचने पर दिल्ली सरकार ने हाल ही में इसके लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार की है। इसके तहत 50 से अधिक पेड़ काटने के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सीईसी की मंजूरी लेनी ही होगी। अब तक हो क्या रहा था, योजनाओं के नाम पर पेड़ों को काटकर उन्हें प्रत्यारोपित किया जाता था या उसके एवज में काटे गए पेड़ों की संख्या से तीन गुना पेड़ लगाने होते हैं। इस नियम का ठीक से पालन नहीं होता है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विकास योजनाओं के विभागों के पास इस बात का कोई स्पष्ट डाटा तक उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने बीते सालों में कितने पेड़ प्रत्यारोपित किए, कहां किए। पेड़ जिंदा भी है या नहीं। देखरेख तो दूर की बात है। विकास के लिए योजनाओं का क्रिन्यान्वय जरूरी है, लेकिन पेड़-पौधों की ऐसी अनदेखी करके नहीं, बल्कि स्वस्थ हरियाली को साथ लेकर ही चलना होगा। पेड़ों की जड़ों से रक्षा करनी ही होगी। आखिर पेड़ों के प्रति जिम्मेदार विभागों की अन्यमनस्कता के लिए उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब नई एसओपी में भी रखरखाव न करने पर सुरक्षा जमा राशि जब्त करने, वन विभाग से इसकी जिम्मेदारी ले लेने की बातें भी कहीं गई हैं, अब ये कितनी कारगर होंगी इसको लेकर क्या कहते हैं विशेषज्ञ, इसी की पड़ताल हमारा आज का मुद्दा है :

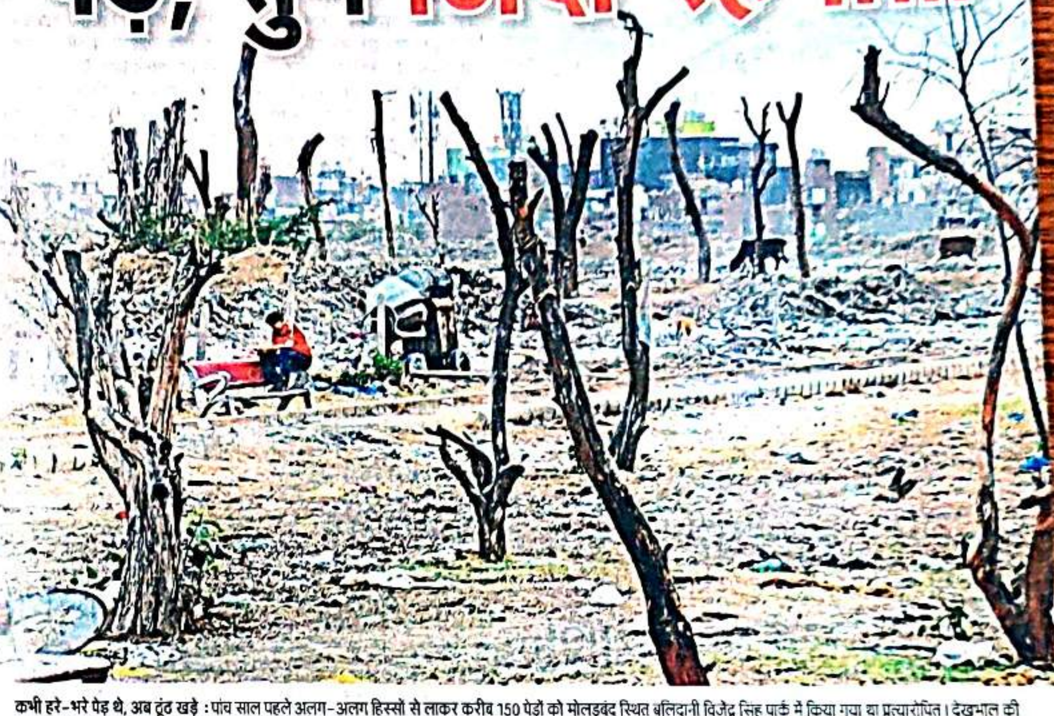

कभी हरे-भरे पेड़ थे, अब ठूंठ खड़े : पांच साल पहले अलग-अलग हिस्सों से लाकर करीब 150 पेड़ों को मोलड़बंद स्थित बलिदानी विजेंद्र सिंह पार्क में किया गया था प्रत्यारोपित। देखभाल की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की थी। पर बिना पानी और खाद के ज्यादातर पेड़ सूखते चले गए। विभागीय उदासीनता के चलते वर्तमान में केवल 10 प्रतिशत पेड़ ही सांस ले रहे हैं • विपिन शर्मा

पेड़ संरक्षण के प्रविधान पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत

डा. फैयाज ए खुदसर
जैव विविधता विशेषज्ञ

निश्चित तौर पर यह बड़ी चुनौती है कि विकास और पौधों के बीच स्वस्थ संतुलन कैसे बनाया जाए। विकास एजेंसियों, विज्ञानियों, विशेषज्ञों, स्थानीय लोगों और सरकार को एक साथ कैसे लाया जाए ताकि विकास का मौजूदा हरित क्षेत्रों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और हरित आवरण को बढ़ाया जा सके तथा उसका व्यवस्थित प्रबंधन किया जा सके। विकास योजनाओं के साथ पेड़ों के रखरखाव के बीच संतुलन बनाने के लिए कई बदलावों की आवश्यकता है।

"होता है", "हो जाएगा", "पौधे ही तो हैं" आदि धारणाओं से हमें बाहर निकलना होगा। संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए उनकी क्षमता विकास की ट्रेनिंग निरंतर रूप से कराई जाए। विकास योजनाएं बनाते समय, पेड़ों को महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। विकास योजनाओं में पेड़ों के लिए जगह निर्धारित करना और पेड़ों की कटाई के बिना विकास योजनाओं को पूरा करने के तरीकों पर विचार करना चाहिए। विकास परियोजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण हरित स्थानों को चिह्नित किया जाना चाहिए तथा उनका ईमानदारी से रखरखाव किया जाना चाहिए।

विकास योजनाओं में पेड़ों का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रविधान करने की भी जरूरत है। इसका मतलब यह है कि पेड़ों को काटने से पहले उनकी स्थिति का मूल्यांकन करना और यदि संभव हो तो उन्हें स्थानांतरित करने के विकल्पों पर विचार करना। करीब 10 वर्ष पुराने वृक्षों को आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकता है, लेकिन 10 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को प्रत्यारोपित करना कठिन है। वे जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ होते हैं।

पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों को भी विकास योजनाओं को मंजूरी देने से पहले, पेड़ों की स्थिति का मूल्यांकन करने और पेड़ों को संरक्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रविधान करने की संयुक्त जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पेड़ों को पानी देना, खाद देना और बीमारियों से बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना। सभी विकास योजनाओं में स्थानीय प्रजातियों के पेड़ों को शामिल करने, नए हरित क्षेत्र को विकसित करना और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी के निमित्त विकासकर्ताओं को भी उत्तरदायी बनाना आवश्यक है।

विकास योजनाओं और पेड़ों के बीच संतुलन बनाने के लिए आम जन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भी आवश्यक है। स्थानीय समुदायों को पेड़ों को बचाने और उनकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सफल सरकारी योजनाएं जैसे डीडीए के बायोडायवर्सिटी पार्कों सरीखी नीले-हरी संरचनाओं से मिली सीख को आगे बढ़ाना भी आवश्यक है, जहां स्थानीय प्रजाति के घास के मैदान, नम भूमि व वृक्षों को संरक्षित करने की वैज्ञानिक की कवायद की गई है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों, विकासकर्ताओं, वैज्ञानिक संगठनों एवं स्थानीय समुदायों का सम्मिलित उत्तरदायित्व वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

वनस्पतियां जीवन है एवं जीवन का आधार हैं और इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि संपूर्ण शहरी पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें मानव एक प्रमुख हिस्सा है, विकास में आमूलचूल परिवर्तन के कारण बदल गया है। हमें रहने के लिए घर, कार्यालय के लिए भवन, अस्पताल, सड़कें, रेलवे और आवागमन के लिए मेट्रो आदि की आवश्यकता है। लेकिन सच यह भी है कि विकास गतिविधियों ने पौधों और वनस्पति पर भारी असर डाला है जो अंततः जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। धूल की आंधी, पानी की कमी, शहरी गर्मी द्वीप, बदली हुई वायु गुणवत्ता अक्सर मानव स्वास्थ्य और कल्याण को बुरी तरह प्रभावित करती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि पेड़ों और शहरी प्रकृति की उपस्थिति लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, बच्चों के ध्यान और परीक्षा के अंकों, संपत्ति के मूल्यों तक में सुधार कर सकती है। पेड़ों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ देशों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थित 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में से 15 को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण समीक्षा एक व्यापक तर्क प्रदान करती है कि पेड़ों को परियोजना प्रबंधकों और नागरिक द्वारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाना चाहिए क्योंकि हम सामूहिक रूप से इन स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं। इसलिए इस दिशा में बेहतर सामंजस्य का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए।

-जैसा संजीव गुप्ता को बताया

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- THE HINDU · Thursday, May 29, 2025 DELHI ED

Tree felling in Delhi: SC finds DDA officials guilty of contempt

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

"Overarching public interest" saw the Supreme Court restrain itself on Wednesday from initiating contempt action against Delhi Development Authority (DDA) officials and its former Vice-Chairperson Subhashish Panda for the illegal felling of hundreds of trees in the Capital's protected Ridge area without prior permission from the top court.

The trees were felled to construct a broader access road to the Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences, a new hospital catering primarily to paramilitary personnel, their families, pensioners, and the public. A Bench headed by Justice Surya Kant, in a judgment, said the cumulative action of cutting the protected trees along with concealing the fact from the top court during proceedings "struck at the very heart of the justice delivery system".

'Irreversible prejudice'

"It contaminates the sanctity of judicial proceedings. It causes irreversible prejudice to parties... We are left with no hesitation to hold that the respondents' (DDA officials) conduct was gravely contumacious, and viewed cumulatively, the irreversible actions amount to blatant obstruction of justice. These actions, in our considered view, fall clearly within the ambit of criminal contempt of the court," said Justice Kant.

'L-G LEFT EMBARRASSED' PAGE 2

Tree felling: officials' errors left L-G 'embarrassed', says SC

Top court says DDA officials hid facts, defied court orders and misled Lieutenant-Governor V.K. Saxena on cutting of trees in the Ridge; imposes environmental fines on those found responsible

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Around 1,100 trees were cut down in the Ridge in February 2024. Tree felling in the area is not allowed without the SC's permission. FILE PHOTO

The Supreme Court on Wednesday noted that the wilful disobedience, deliberate concealment of tree felling in the protected Delhi Ridge area, and a series of miscommunications by Delhi Development Authority (DDA) officials left Lieutenant-Governor (L-G) V.K. Saxena in an "embarrassing position".

The Delhi L-G is also the ex officio chairperson of the DDA.

"Without delving into excessive detail, it is an admitted position that the former DDA vice-chairperson (Subhashish Panda) and officials of the DDA acted in an errant manner, which not only amounted to a concealment of this court's directions but also led to an unfortunate and avoidable misconstruction of communications attributed to the L-G, thereby placing him in an embarrassing position," the Supreme Court judgment authored by Justice Surya Kant observed.

The petitioners had alleged that trees were chopped down on the orders of the L-G, who had visited the site on February 3 last year.

On October 16, the apex court had directed the L-G to file an affidavit explaining his alleged role and what transpired on February 3.

Mr. Saxena maintained that he had visited the road-widening site that day on his way from the CAPFIMS Hospital site, and claimed that no DDA official informed him that felling trees required Supreme Court permission.

₹25,000 fine

The court said the actions of DDA officials cumulatively resulted in "flagrant contempt" of its directions on tree felling.

Closing the proceedings against Mr. Panda, as he was no longer in the DDA cadre, the court directed DDA officials found responsible by the internal inquiry to deposit ₹25,000 each as an environmental fee with the Forest Department.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- Pioneer
NEW DELHI | THURSDAY | MAY 29, 2025

Felling of trees in Ridge area: SC holds DDA officials guilty

PIONEER NEWS SERVICE ■ New Delhi

The Supreme Court on Wednesday held the Delhi Development Authority (DDA) guilty of contempt for wilful disobedience of the court's order banning felling of trees in the capital's Ridge area for widening of an approach road for a paramilitary forces' hospital and ordered extensive afforestation.

A bench of Justices Surya Kant and N Kotiswar Singh, which imposed a fine of ₹25,000 on the errant DDA officials for contempt of court, however, said that though the misadventure undertaken by them was in clear contravention of this court's orders but the underlying objective of having a broader approach roads for Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences (CAPFIMS) appears to be not in bad faith.

"We are thus left with no hesitation in holding that the respondents' (DDA) conduct has been gravely contumacious, and when viewed cumulatively, their actions amount to a blatant obstruction of the administration of justice. These acts, in our considered view, fall squarely within the ambit of 'criminal contempt' as defined under Section 2(c) of the Contempt of Courts Act, 1971," the bench said.

The bench, which gave its verdict on a contempt petition alleging violations of court's order by DDA officials, said it is conscious of the distinction between mala fide abuse of power and genuine administrative misjudgement, and the court is inclined to deem that the present instance falls within the latter category.

"It must be emphasised that while the misadventure undertaken by the errant officials of the DDA was in clear and flagrant contravention of this court's orders, the underlying objective — namely, to facilitate improved access through broader approach roads for CAPFIMS and other public institutions — appears, does not seem to be in bad faith and certainly not to defy the authority of this court," it said.

The bench issued a slew of directions for preservation of environment, protection of Ridge Area and afforestation to the DDA and asked an expert panel to oversee their efforts. It said after having holistically considered the matter from multiple dimensions, this court must remain mindful that the establishment of CAPFIMS, the felling of trees, and the construction of approach roads are now fait accompli.

"While it may be theoretically possible to contemplate a reversal of these actions, such a course is practically untenable. In our view, the die is cast, and what is done cannot now be undone — any refusal to put institutions like CAPFIMS to optimal use or to undo road construction at this stage risks not only undermining public interest but also squandering significant public resources," it said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS--- THURSDAY, 29 MAY, 2025 | NEW DELHI

TREE FELLING IN DELHI'S RIDGE AREA

SC finds DDA in contempt and orders extensive afforestation

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Supreme Court on Wednesday found Delhi Development Authority (DDA) officials guilty of contempt for felling trees in Delhi's Ridge area to widen a road, in violation of earlier court orders. The court, however, said the act stemmed from "administrative misjudgement" rather than malafide intent.

A bench of Justices Surya Kant and N Kotiswar Singh imposed a fine of Rs 25,000 on the officials but spared DDA chairman and Delhi Lieutenant Governor V K Saxena, and vice-chairman Subhasish Panda, against whom the contempt plea had been filed.

The court noted that approximately 1,100 trees were felled in February 2024 to widen the approach road to the CAPFIMS Hospital, even though the DDA's request to do so had been rejected on March 4 for being "very vague."

It directed the DDA to implement an extensive afforestation plan and imposed a one-time levy on affluent residents in the Ridge area who benefited from the road widening.

A three-member committee has been constituted to oversee the afforestation effort and ensure dense tree cover on both sides of the approach road.

The court had earlier issued a contempt notice to Panda and sought an affidavit from the LG on action taken against those responsible for the unauthorised tree felling.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- amarujala.com नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 29 मई 2025 --DATED---------------------

डीडीए अवमानना का दोषी...रिज में व्यापक पौधरोपण के निर्देश

बिना अनुमति पेड़ काटने पर अफसरों पर 25 हजार रुपये जुर्माना, आईएएस अफसर पांडा पर अवमानना कार्यवाही बंद

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ी करने के लिए बिना अनुमति पेड़ काटे जाने के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। साथ ही, उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, कोर्ट ने माना कि इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी। पर, पर्यावरण को पहुंची क्षति की भरपाई के लिए व्यापक स्तर पर पौधरोपण के निर्देश दिए।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला उस अवमानना याचिका पर सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पेड़ काटने पर पाबंदी के बावजूद दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) और आईएएस अधिकारी सुभाषीश पांडा ने बतौर डीडीए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इन आदेशों का जानबूझकर पालन नहीं किया। कोर्ट ने 21 जनवरी को आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था, उसे याचिकाओं में अवमानना की गंभीरता को देखना होगा।

अदालत ने पेड़ों की कटाई के लिए डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा को अवमानना नोटिस जारी किया था। साथ ही, उपराज्यपाल एवं डीडीए अध्यक्ष वीके सक्सेना को निर्देश दिया था कि फरवरी, 2024 में रिज क्षेत्र में लगभग 1,100 पेड़ों को अवैध रूप से गिराने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दायर करें। कोर्ट ने सुभाशीष पांडा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद कर दी। साथ ही डीडीए अध्यक्ष को भी छूट प्रदान की। ब्यूरो >> भविष्य में न दोहराई जाए ऐसी चूक : पेज 13

फायदा पाने वाले धनी व्यक्तियों से वसूलें शुल्क

शीर्ष अदालत ने डीडीए को रिज क्षेत्र में रहने वाले उन धनी व्यक्तियों पर एकमुश्त शुल्क लगाने को भी कहा, जिन्हें सड़क चौड़ीकरण से लाभ मिला है। कोर्ट ने व्यापक वृक्षारोपण योजना की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया। निर्देश दिया कि वह मार्ग के दोनों ओर वृक्षों का घना आवरण सुनिश्चित करें।

मुंडका में नालों का निर्माण जल्द पूरा करें : हाईकोर्ट

बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग और दिल्ली नगर निगम को दिया निर्देश

गौरव बाजपेई

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंडका क्षेत्र में नालों के निर्माण को लेकर जिम्मेदार विभागों को निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग और दिल्ली नगर निगम को स्थानीय लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए जल्द निर्माण कार्य पूरा करने को कहा है।

निर्माण एजेंसियों को अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने रोहतक रोड के दोनों ओर नालों के निर्माण में देरी और सड़कों की ऊंचाई के कारण घरों में जलभराव की समस्या पर चिंता जताई है। कोर्ट को बताया गया कि रोहतक रोड के किनारे नालों का निर्माण कार्य 6 दिसंबर, 2024 के आदेश के बाद शुरू

हुआ था। निविदाएं जारी कर कालूवाला कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड को कार्य सौंपा गया था।

हालांकि, बीएसईएस, डीजेपी, आईजीएल, टीपीडीडीएल, डीटीएल, एमटीएनएल और डीएमआरसी जैसे सेवा प्रदाताओं की पाइपलाइन और केबल्स को स्थानांतरित करने में देरी के कारण कार्य में रुकावट आ रही है। गैस, पानी और बिजली की पाइपलाइनों के कारण निर्माण की समयसीमा तय करना मुश्किल है, लेकिन 2026 की शुरुआत तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

अतिक्रमण के चलते नाले की डिजाइन प्रभावित

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण नाले सीधे नहीं बन पा रहे हैं, जिससे पानी का प्रवाह बाधित हो रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि नालों को बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से बनाया जाए। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने इन मुद्दों को एमसीडी और डीडीए को भेजने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सिंचाई विभाग और एमसीडी को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह सुनिश्चित करने की बात हो कि सड़कों का स्तर घरों से नीचे न हो और निवासियों को असुविधा न हो। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त, 2025 को होगी। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को वर्चुअल रूप से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी, लेकिन कार्यकारी अभियंता और प्रोजेक्ट इंचार्ज को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला
नई दिल्ली | बृहस्पतिवार | 29 मई 2025

NAME OF NEWSPAPERS

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली, गुरुवार 29 मई, 2025

दिल्ली विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार

बिना अनुमति काटे पेड़...सुप्रीम कोर्ट ने बोला-दोबारा चूक न हो

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ी करने के लिए बिना अनुमति पेड़ काटे जाने के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए कहा कि अब वनरोपण, सड़क निर्माण, पेड़ों की कटाई या संभावित पारिस्थितिक प्रभाव वाली किसी भी गतिविधि से संबंधित प्रत्येक अधिसूचना या आदेश में इस कोर्ट के समक्ष संबंधित कार्यवाही लंबित होने का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश इसलिए दिया जाता है ताकि भविष्य में इस जानकारी के अभाव में ऐसी कोई चूक न दोहराई जाए।

गलत प्रशासनिक निर्णय का नतीजा : पीठ ने डीडीए अधिकारियों पर जुर्माना लगाता हुए कहा कि मामला गलत प्रशासनिक निर्णय की श्रेणी में आता है, क्योंकि 1996 के एक फैसले के तहत पेड़ों की कटाई से पहले आवश्यक मंजूरी लेना जरूरी था। इन पेड़ों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए काटा गया था। कटाई कथित तौर पर पिछले साल 16 फरवरी को शुरू हुई थी। इससे पहले दायर एक आवेदन किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2024 को डीडीए को 1,051 पेड़ों को काटने की अनुमति देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि संबंधित आवेदन बहुत अस्पष्ट है।

दिल्ली में सड़क को चौड़ा करने के लिए पेड़ों को काटा गया था

प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए डीडीए दोषी: सुप्रीम कोर्ट

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को रिज क्षेत्र में पेड़ काटने के मामले में अवमानना का दोषी ठहराया है। ये पेड़ पैरामिलिट्री अस्पताल तक पहुंचने के लिए सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए कोर्ट की अनुमति के बिना काटे गए थे। शीर्ष कोर्ट ने प्रत्येक दोषी अधिकारी को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा, हमने इस कृत्य को दो हिस्सों में बांटा है। पहला, अनुमति लेने की आवश्यकता का सीधा पालन न करना और दूसरा, कोर्ट से जानबूझकर यह बात छिपाना कि पेड़ों की कटाई पहले ही हो चुकी थी। जानबूझकर जानकारी न देना न्यायिक प्रक्रिया के मूल पर चोट करता है। प्रतिवादियों का आचरण अवमाननापूर्ण रहा है। उनके कृत्य आपराधिक अवमानना के दायरे में आते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में आगे कहा कि अब से पेड़ लगाने, सड़क बनाने, पेड़ काटने या किसी भी ऐसी गतिविधि से संबंधित हर अधिसूचना या आदेश में, जिसका पर्यावरण पर असर पड़ सकता है, इस कोर्ट के सामने संबंधित कार्यवाही लंबित होने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने कहा, यह निर्देश इसलिए दिया गया है, ताकि भविष्य में अज्ञानता को बचाव के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सके।

डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष पांडा के खिलाफ कार्यवाही बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी। वहीं, अन्य अधिकारियों पर 25 हजार रुपए का पर्यावरणीय शुल्क लगाया है, जो किसी भी विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त और बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन अधिकारियों के खिलाफ एक औपचारिक निंदा भी जारी की गई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह संस्थागत गलतियों और प्रशासनिक अतिक्रमण का एक उत्कृष्ट मामला था, जिसमें अनुमति प्राप्त करने में विफलता, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना और परिणामस्वरूप पर्यावरणीय गिरावट शामिल थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
NAME OF NEWSPAPERS---- नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 29 मई 2025 DATED--------------------

बुनियादी सुविधाओं का होगा विकास 2047 तक विकसित होगी दिल्ली

शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के विकास से दिल्ली को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की तैयारी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सौ दिन की दिल्ली सरकार ने अपने लिए अगले 22 साल का लक्ष्य तय किया है। सरकार का दावा है कि 2047 तक दिल्ली पूरी तरह विकसित होगी। इसमें सबसे ज्यादा जोर बुनियादी ढांचे के विकास पर है। इसके लिए एक लाख करोड़ रुपये के अपने पहले बजट में सरकार ने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिया है।

विकसित दिल्ली-2047 के विजन पर विशेषज्ञों का मानना है कि चुनौतीपूर्ण होने के बाद भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। दिल्ली सरकार को सबसे पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत करनी होगी। मेट्रो व बस समेत परिवहन के सभी माध्यमों को एकीकृत करना पड़ेगा। प्रदेश की बढ़ती आबादी को देखते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर संजीदगी से काम करना होगा। डीडीए के साथ मिलकर आवासीय सेक्टर के मांग व पूर्ति के फर्क को खत्म करना पड़ेगा।

बुनियादी ढांचा होगा बेहतर : दिल्ली के बुनियादी ढांचे में बदलाव की भी सरकार की योजना है। इसमें प्राथमिकता दिल्ली की जर्जर सड़कों को ठीक किया जाना है। वहीं, सराय काले खां को मयूर विहार फेज-1 से जोड़ने वाले बारापूला फेज-3 प्रोजेक्ट समेत निर्माणाधीन सभी प्रोजेक्ट को तयशुदा समय में पूरा करना है।

शिक्षा व स्वास्थ्य में बदलाव की शुरुआत : दिल्ली सरकार ने शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को भी प्राथमिकता में रखा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि 2025-26 के बजट में शिक्षा के लिए 19,291 करोड़ का प्रावधान किया है। यह कुल बजट का सर्वाधिक 19.29 फीसदी है। इसमें नए सीएम श्री स्कूल खुलेंगे। इमारतें बेहतर होने के साथ कक्षाएं भी इनकी स्मार्ट होंगी।

बिजली व सांफ-सफाई पर भी ध्यान ; सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार प्रति तीन केवी के सोलर प्लांट पर तीस हजार की सब्सिडी दे रही है। वहीं, इससे बनने वाली अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भी डाला जा रहा है। इससे उपभोक्ता की बिजली बिल भी कम हुआ है। इसके जरिए सरकार की योजना बिजली उत्पादन को बढ़ाने की है। दूसरी तरफ पालम गांव में 66/11 केवी का जीआईएस पावर ग्रिड स्टेशन शुरू किया।

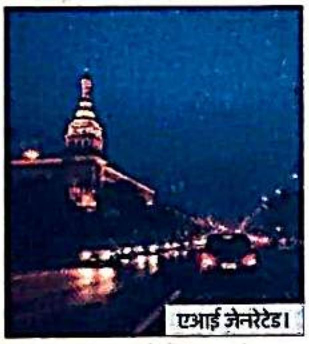

एआई जेनरेटेड।

विकसित दिल्ली के लिए संकल्पबद्ध : सीएम

सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि चार इंजन की सरकार राजधानी को 'विकसित दिल्ली' बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन समेत दूसरे सेक्टर में जो भी रूके हुए काम थे, उस पर तेजी से काम हो रहा है। साथ में नई योजनाएं भी लाई जा रही है। दिल्ली के हर मोहल्ले, हर कॉलोनी को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाया जाए। विकास का यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है।

ई-वाहन की राजधानी बनेगी दिल्ली

दिल्ली सरकार 100 फीसदी ई-वाहन चलाएगी। अभी करीब दो लाख ई-वाहन हैं। 2027 तक 90 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। प्राथमिकता में अभी सरकारी वाहन हैं। अपने कार्यकाल के पहले साल में सरकार 2,080 बसें परिवहन बेड़े में जोड़ेगी। इस कड़ी में 400 ई-बसें उतार भी दी गई हैं। वहीं, अगले सालों में इनकी संख्या 10,000 से ऊपर ले जाने का लक्ष्य है।

परिवहन के साथ जाम दिल्ली की बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार को मेट्रो का दायरा व बसों बेड़ा बढ़ाने के साथ मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार इस दिशा में काम कर रही है। फिर भी, अभी उसको लंबा सफर तय करना है।
-अनुमिता राय चौधरी, कार्यकारी निदेशक, सीएसई

विकसित दिल्ली का मतलब यही है कि सुनियोजित तरीके से दिल्लीवालों को बेहतर सुविधाएं मिलती रहें। 1770 अनधिकृत कालोनियों, गांवों, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को जितना संभव हो, सुविधाएं सरकार मुहैया कराए। **-जगदीश ममगई, शहरी मामलों के जानकार**

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

ई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 29 मई • 2025 | राष्ट्रीय सहारा

NAME OF NEWSPAPERS

पंजाब केसरी DELHI 29 मई, 2025 ▶ गुरुवार

डीडीए की अपना घर आवास योजना-25 को अच्छा रेस्पॉस

■ 24 घंटे में 452 फ्लैट्स की बुकिंग, नरेला खरीदारों की पहली पसंद

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अपना घर आवास योजना-25 में शामिल नरेला के फ्लैट्स का अच्छा रेस्पॉस मिल रहा है। डीडीए ने बीते 24 घंटे में नरेला, लोकनायकपुरम और सिरसपुर में 452 फ्लैट्स की बुकिंग का दावा किया है। डीडीए की इस आवासीय योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 20 मई से शुरू की थी। फ्लैट्स की बुकिंग प्रक्रिया मंगलवार 27 मई दोपहर 12 बजे से शुरू हुई है। डीडीए के मुताबिक अब तक जितने फ्लैट्स की बुकिंग हुई है, उसमें अधिकांश फ्लैट नरेला के शामिल हैं। इस आवासीय योजना में विभिन्न श्रेणी के कुल 7500 फ्लैट शामिल हैं।

अपना घर आवास योजना-25 के रेस्पॉस को लेकर डीडीए के अधिकारी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि बीते 24 घंटे में नरेला में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 209, एलआईजी श्रेणी के 136, एमआईजी श्रेणी के तीन और एचआईजी श्रेणी के छह फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है। इसी तरह लोकनायक पुरम स्थित एलजीआई श्रेणी के 37 और एमआईजी श्रेणी के 48 फ्लैट्स की बुकिंग हो चुकी है। सिरसपुर में एलआईजी श्रेणी के 13 फ्लैट्स की बुकिंग हो चुकी है।

पेड़ कटाई मामला : DDA अवमानना का दोषी

■ सुप्रीम कोर्ट ने दिया व्यापक वनरोपण का आदेश

नई दिल्ली (एसएनबी)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों को राजधानी के रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटने पर अवमानना का दोषी ठहराया और व्यापक वनरोपण का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने पाया कि इसमें कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नही था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अवमानना याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पेड़ काटने पर प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन किया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल तथा आईएएस अधिकारी सुभाषीश पांडा द्वारा क्रमशः डीडीए के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में आदेशों का जानबूझकर पालन नही किया गया। पीठ ने कहा कि यह मामला गलत प्रशासनिक निर्णय की श्रेणी मे आता है। डीडीए अधिकारियों पर पीठ ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया और डीडीए के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को मामले से छूट प्रदान कर दी। शीर्ष अदालत ने डीडीए को रिज क्षेत्र मे रहने वाले उन धनी व्यक्तियों पर एकमुश्त शुल्क लगाने को भी कहा, जिन्हे सड़क चौड़ीकरण से लाभ मिला है।

दिल्ली रिज में पेड़ कटाई को लेकर डीडीए अफसरों पर जुर्माना

● कोर्ट ने प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों को अवमानना का दोषी पाया। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, सिवाय डीडीए के चेयरमैन और तत्कालीन वाइस चेयरमैन के, जो अब इस पद पर नहीं हैं। हालांकि, कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद कर दी, लेकिन विभागीय जांच को जारी रखने का आदेश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीडीए ने 1996 के आदेश का उल्लंघन किया, जिसमें रिज क्षेत्र में पेड़ काटने के लिए कोर्ट की पूर्व अनुमति जरूरी थी। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध माना, क्योंकि डीडीए ने न केवल पेड़ काटे, बल्कि यह तथ्य भी छिपाया कि पेड़ पहले ही काटे जा चुके थे। कोर्ट ने इसे 'आपराधिक अवमानना' करार देते हुए कहा कि यह न्याय व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. क. सिंह की बेंच ने माना कि यह मामला सत्ता के दुरुपयोग और प्रशासन के गलत निर्णय का है। हालांकि, पेड़ काटने का मकसद पैरामिलिट्री अस्पताल तक सड़क चौड़ी करना था, जो जनहित में था। इसलिए, कोर्ट ने इसे 'प्रशासनिक भूल' माना और सख्त कार्रवाई से बचते हुए सुधारात्मक कदमों पर जोर दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और डीडीए को पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए व्यापक पौधरोपण करने का निर्देश दिया। इसके लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो रिज क्षेत्र में काटे गए पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाने की योजना बनाएगी। कमेटी कनेक्टिंग सड़क के दोनों ओर घने पेड़ लगाने की संभावनाएं तलाशेगी और समय-समय पर कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। डीडीए को सड़क का काम पूरा करने का भी आदेश दिया गया है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि जिन लोगों ने इस सड़क का लाभ उठाया, जैसे कि संपन्न व्यक्ति या संस्थाएं, उनसे पौधरोपण का खर्च वसूला जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीडीए को कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि क्या पेड़ काटने का आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) ने दिया था। डीडीए के तीन अधिकारियों को पहले अवमानना नोटिस भी जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के 'ग्रीन लंग्स' कहे जाने वाले रिज क्षेत्र में पेड़ काटने जैसे मामले को हल्के में नहीं लिया।